


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजेश बनाम जिला कलक्टर झुन्झुनू 38/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00058)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.07.18	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई गई फिर भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं, प्रकरण में पुनः रुक रुककर आवाजें दिलवाई गई इसके उपरान्त भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण फरवरी, 2018 से विचाराधीन चल रहा है तथा अपीलान्ट अपीलान्ट द्वारा अपूर्ण कोर्ट फीस पर अपील प्रस्तुत की गई है एवं अपील प्रस्तुत करने के उपरान्त अधिवक्ता अपीलान्ट अथवा अपीलान्ट की ओर से कोई भी न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित नहीं आये है। ऐसी स्थिति में अब इस अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तथा पत्रावली बाद तकमील जाबता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (टी०रविकान्त) संभागीय आयुक्त संभागीय आयुक्त जयपुर </p>	